


न्यायालय में श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

कैम्प कोर्ट रीवा म०प्र०

(13)



RS. 20/-

R. 2901-1114

- 1-दुलारे केवट आत्मज छोटू केवट
- 2-बंशधारी आत्मज छोटू केवट
- 3-गया प्रसाद आत्मज धर्मदास केवट
- 4-दयाले आत्मज धर्मदास केवट

सभी निवासी ग्राम बैरिहा थाना व तहसील जयसिंहनगर जिला-शहडोल
म०प्र० आवेदक गण

बनाम

बृजभान सिंह गोंड आत्मज हेमराज सिंह गोंड निवासी ग्राम देवरी थाना व
तहसील जयसिंहनगर जिला-शहडोल म०प्र० अनावेदक

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय
द्वारा आज दिनांक 23-8-14
प्रस्तुत किया गया।

सिद्ध
मैजिस्ट्रेट कोर्ट रीवा

स्वमेव निगरानी विरुद्ध व्यवस्थापन
पट्टा आदेश श्रीमान् तहसीलदार
महोदय-के रा०प्र०क०/300/अ-19
(4)/1987-1988 मे पारित आदेश
दिनांक 07.07.1988 से परिवेदित

स्वमेव निगरानी अन्तर्गत धारा 50
म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959

क्रमांक 9112
सिद्ध पोस्ट द्वारा आजमान्यवर,
दिनांक 23-8-14 को प्राप्त

प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक गण मौजा बैरिहा थाना
व तहसील जयसिंहनगर जिला-शहडोल म०प्र० के पुस्तैनी बासिन्दा है। तथा
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर अनावेदक मौजा देवरी थाना व तहसील जयसिंहनगर जिला-शहडोल म०प्र०

// 2 // पर

दयाले


M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.2901-II/14

जिला-शहडोल

दुलारे केवट / बृजभान सिंह

(1)	(2)	(3)
01.02.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	